(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 411—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—12—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील शाढौरा, जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 294/अ—68/2012—13

.....

श्रीमती हल्कीबाई पत्नी स्व.श्री रूपसिंह चौहान
निवासी— ग्राम शाढौरा तहसील शाढौरा,
जिला—अशोकनगर (म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा — कलेक्टर
जिला— अशोकनगर (म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री के0के0 दिवेदी अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक,

.....

आदेश

(आज दिनांक 8.11.16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार, तहसील शाढौरा, जिला—अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—12—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शाढौरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1323 में से 15X20=300 वर्गफीट है, जिसकी नोइयत सड़क पर आवेदिका के द्वारा अतिक्रमण

किये जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार राजेन्द्र साहू पुत्र नन्नुलाल साहू द्वारा लिखित में जानकारी दी गई। इसी जानकारी के आधार पर तहसीलदार शाढौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 294/अ--68/2012--13 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 26--12--2014 को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाढौरा द्वारा आवेदिका को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही बेदखल किये जाने की कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक की एकपक्षीय रिर्पोट के आधार पर आदेश पारित किया है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। विवादित भूमि का पट्टा चाय की दुकान हेतु विधिवत रूप से अपर कलेक्टर, अशोकनगर, जिला--गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.1985 से किया गया था, जिसके पश्चातउक्त स्थान पर आवेदिका के परिवार द्वारा निरंतर चाय की दुकान का संचालन किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में विधि के प्रभाव से उसे भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये है । उक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं उसके द्वारा इस संबंध में अर्थदण्ड जमा किया गया है। अर्थदण्ड की रसीद प्रमाण स्वरूप इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अपना प्रमाणी करण दिनांक 01.04.1998 को दिया गया है। जिसमें उनके द्वारा आवेदिका की उक्त दुकान का संचालन लगभग 20 वर्षों से होना बताया गया है । ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से जांच किये बिना एवं सीमांकन किये बिना आवेदिका को अतिक्रमांक नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवादित स्थल से लगी हुई लगभग 40--50 दुकाने निर्मित है। जिनके संबंध में कोई जांच नहीं की गई और न ही उन्हें अतिक्रमण में माना गया है, केवल आवेदिका को परेशान करने के उद्देश्य से उपरोक्त कार्यवाही की गई है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाढौरा द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया जावे तथा आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हुये। उन्होंने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का एवं निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाढौरा के समक्ष पक्षकार राजेन्द्र साहू, निवासी—ग्राम शाढौरा के द्वारा लिखित जानकारी दी गई थी कि सर्वे नं0 1323 रकबा 0.002 है0 पर नोइयत सड़क है, पर गूमटी रखकर आवेदिका बेवा रूप सिंह चौहान तथा उसके पुत्रगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसी लिखित जानकारी के आधार पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को स्थल जांच हेतु निर्देशित किया गया एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुनवाई उपरांत अतिक्रमण पर दिनांक 09.04.13 को 1500/—रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। अतिक्रामक को दिनांक 14.04.13 को बेदखली का आदेश तामील हुआ, परंतु आवेदिका द्वारा अतिक्रामक नहीं हटाया गया । आवेदिका द्वारा अतिक्रामण न हटाने के बावत दिनांक 16.04.13 को पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश पारित करने के बावजूद भी आवेदिका द्वारा अतिक्रामण न हटाने के कारण तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत सिविल कारागार की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर को प्रेषित किया गया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा प्रकरण पुनः तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि आवेदिका हल्कीबाई एवं उसके दोनों पुत्र जितेन्द्र व दीपक तीनो द्वारा दुकान चालाया जाता है या उसके दोनों पुत्र द्वारा । राजस्व निरीक्षक से स्थल की जांच करवा कर रिपोर्ट ली जावे। उक्त निर्देश के पालन में तहसीलदार, शाढौरा द्वारा राजस्व निरीक्षक से स्थल की जांच करा कर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया तथा आवेदिका को सूचना दी गई, सूचना उपरांत अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 26.12.2014 को बेदखली का आदेश पारित किया गया ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि के अनुकूल है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि पर अतिक्रामण यदि है तो सूचना उपरांत मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

ी धारा 248(2) के तहत बेदखली की कार्यवाही की जा सकती हैं । तहसीलदार ने वही किया है जो प्रकरण में न्याय की मंशा थी। अतः तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश 26.12.14 में कोई त्रुटि नहीं पाता। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2014 तर्कसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर